भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 164
जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2015 को दिया जाना है

देश में भारी उद्योगों की स्थापना

164. श्री निशिकान्त दुबे:
डॉ बूरा नरसैय्या गौड:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा बेरोजगार युवाओं के पलायन को रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में भारी उद्योगों के विकास हेतु कोई राष्ट्रीय नीति बनाना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): उद्योग राज्य का विषय है। अत: भारी उद्योग विभाग के पास पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने संबंधी कोई स्कीम नहीं है। तथापि, यह विभाग अभिनव स्कीमों के माध्यम से उद्योग में प्रौद्योगिकी विकास उपलब्ध कराता है। कई राज्यों में भारी उद्योगों सहित उद्योगों के विकास एवं वृद्धि के लिए सन्निहित प्रोत्साहन और स्कीमें हैं। केन्द्र सरकार, देशभर में उद्योगों की वृद्धि के लिए वित्त मंत्रालय के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संरचना प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराती है।

(ग) और (घ): जी, नहीं।

****